राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/पे–मैनेजर/ 8572-8611 दिनांकः 26/8/2022

कोषाधिकारी,
समस्त।

विषयः 5 वर्ष से कम सेवा अवधि के कारण पीपीओ जारी नही होने वाले प्रकरणों में उपार्जित अवकाश भुगतान के संबंध में।

संदर्भः एनआईसी का पत्रांक 5156 दिनांक 08.08.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत जिन प्रकरणों में 5 वर्ष से कम सेवा अवधि होने के कारण पीपीओ जारी नही होता हैं, उनमें उपार्जित अवकाश के भुगतान हेतु कोषालय लॉगिन में सुविधा उपलब्ध करवाई गई हैं, जिसका पाथ निम्नानुसार हैं:–

Master -> Update PPO Number (Treasury)

आहरण वितरण अधिकारी द्वारा ऐसे कार्मिकों की सेवानिवृति आदेश सहित पूर्ण विवरण मय पत्र दिये जाने पर जांच कर कोषाधिकारी द्वारा सिस्टम पर स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरांत ऐसे प्रकरणों में डीडीओ द्वारा सेवानिवृति पर देय उपार्जित अवकाश का बिल बनाया जा सकता हैं। अतः उक्तानुसार कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय

(अमिता शर्मा)
अति. निदेशक (कोष एवं बजट)